XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/2236-I/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.7.15	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर सागर के प्र.क्र. 11/अ—21/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। इसमें आवेदिका को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। 2— आवेदिका के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदिका के पति को आराजी ग्राम कुड़ारी तहसील व जिला—सागर भूमि ख.क्र. 210 रकवा 1.110 हे. का पट्टा प्रदाय किया गया था। आवेदिका के पास इस भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि है जिससे वह अपने परिवार का भरण—पोषण कर सकती है। आवेदिका को अपने पुत्री के विवाह हेतु पैसे की आवश्यकता हेतु आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदिका द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह पुत्री के विवाह हेतु राशि की व्यवस्था किए जाने व पति की मृत्यु उपरांत सम्पूर्ण जिम्मेवारी आवेदिका की होने से दिया गया था। उसे विधिवत प्रतिफल प्राप्त होने से वह विक्रय योग्य भूमि जो बंजर व कृषि कार्य हेतु उपयुक्त भूमि नहीं है। विक्रय उपरांत वह अपने निवास स्थान के समीप स्थित भूमि क्रय कर/विकसित कर अपनी गुजर—बसर कर सकती है। इस कारण उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया। 3. आवेदिका के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदिका द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदिका	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदिका द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत अपनी पुत्री का विवाह किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदिका द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु चूंकि आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदिका ग्राम कुड़ारी की भूमि विक्रय कर अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदिका द्वारा पट्टे पर प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:– 1. यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2014–15 की गाईड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2. आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के पश्चात कम से कम उतनी भूमि क्रय करेगी। 3. आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय चार माह के अंतर्गत अनिवार्य रूप से करेगी, अन्यथा यह अनुमति निरस्त मानी जायेगी। सदस्य	

-763-–26-2-07-20,000.

F-9

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

निगरानी 2236-I-15

1. गिरजाबाई बेवा मूलचंद
निवासी ग्राम कुड़ारी, तह. व जिला–सागर (म.प्र.)

– आवेदिका

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अुनसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला–सागर के प्र. क्र. 11अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11–06–13 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम कुड़ारी तहसील व जिला–सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 210 रकबा 1.110 हे0 भूमि आवेदिका को पट्टे पर प्राप्त भूमि है। जिसे आवेदिका के पति को भूमि स्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए थे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि आवेदिका एवं उसके परिवार के नाम भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज है।

2. यह कि आवेदिका द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने के लिए काफी धन व्यय किया परंतु वह काबिल काश्न नहीं बन पाई जिस कारण से उसके द्वारा श्रीमान कलेक्टर सागर के समक्ष उक्त भूमि का विक्रय करने की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही साथ यह भी निवेदन किय गया कि आवेदक विगत 10–12 वर्षों से ग्राम में निवासरत नहीं है। इस कारण ग्राम निवास स्थान के समीप परिवार के साथ अन्य भूमि क्रय कर रहना चाहते है तथा परिवार बालिक पुत्री के विवाह हेतु भूमि विकय की अनुमति हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया था जो निरस्त कर दिया गया है। इस कारण यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है ।

3. यह कि श्रीमान कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थियों का विधि विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए अपना विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।